

V 23/14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 266313

93



त्रिपदा बेलफेयर ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 21.10.2014 को कन्हैया लाल पुत्र श्री बचाऊ लाल निवासी ग्राम गोंगकला, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रु० 10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे-प्राथमिक, उच्च चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों से दान, उपहार, ऋण आदि

कन्हैया लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 266314

2

भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 10,000/- (दस हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय- ग्राम गोंगकला, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है।

(इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:-

ट्रस्ट के उद्देश्य-

ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा-

1. बिना लिंग भेद किए हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. छादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।

कल्याण लाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 290240

3

4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नदी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परिक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना।
9. उपहार के वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य करना।
10. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र, खेल-कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यों का संचालन करना।
11. आई.टी.आई., आई.आई.टी., पालिटैक्निक, इंजिनियरिंग, प्रबन्धन फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर टेक्नीशियन, लैब, टेक्नीशियन, फिजियो थरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
12. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।
13. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्ष परिषद तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से विद्यालय खोलना तथा संचालन करना।
14. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

कन्हैया लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 290241

4

15. अन्धे, गुंगे, बहरे, मिर्गी एवं पागलपन से पीड़ित असाहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
16. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
17. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
18. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
19. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकों, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
20. किसानों को खसरा, खतौनी इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
21. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कराना।
22. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, आई.टी.आई. कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समावोजित कर सकना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

क-ई-ए-ए-ए





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 290242

5

24. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
25. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
26. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उत्तर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, सेन्ट्रिंग कारपेन्टर, मेसिन, बढ़ई, नाई, मोची, कुकर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य करना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके।
31. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके।
32. पार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार कर सकना।
33. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
34. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायक, समृति धिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासंभव अपनी उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क,

कन्हैया लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 290243

6

- खड्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि प्रचार-प्रसार करेगा।
36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
  37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
  38. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/ इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।
  39. विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना एवं विधवा व निर्धन महिलाओं के विवाह हेतु एवं गृह, बहरे व अपंग व्यक्तियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करना।
2. प्रारम्भिक उपलब्ध:-
1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से कन्हैया लाल पुत्र श्री बघाऊ लाल को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
  2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष कन्हैया लाल द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो बरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
  3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण:-
1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

कन्हैया लाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 290244

7

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
  3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किए गये हो।
  4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
  5. कार्यस्त मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जाएगा।
4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज:-  
ट्रस्ट के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए निम्न व्यक्तियों को बोर्ड आफ ट्रस्टीज बनाया गया है:-
1. कन्हैया लाल पुत्र श्री बचाऊ लाल निवासी कन्हैया लाल पुत्र श्री बचाऊ लाल (मुख्य ट्रस्टी)
  2. श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी कन्हैया लाल निवासिनी ग्राम गोंगकलां, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी
1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उपरि समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम सात सदस्य होंगे।
  2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी

कन्हैया लाल



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 394188

8

- भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।
  4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
  5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किए गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाएँ:-
1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
  2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।
6. कार्य क्षेत्र-
- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

कन्हैया लाल



# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9

52AC 578928

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार—

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति—

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टीज/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. सचिव की नियुक्ति—

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

करहेया लाल



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

52AC 578929

2. यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।
10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-  
यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।
  1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
  2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
  3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यों की देख-रेख उपाध्यक्ष करेगा। आफिस विस्तार के लिए अध्यक्ष और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।
11. बैंक एकाउन्ट:-
  1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।

क. लाल



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

52AC 578930

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोल या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

## 12. विधिक कार्यवाही-

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

## 13. सम्पत्ति सम्बन्धी-

1. ट्रस्ट चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अरग्रह भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

कन्हैया लाल



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12

52AC 578931

5. चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव में से दो लोगों का हस्ताक्षर एवं फोटो रहना जरूरी है।
6. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 10,000/- (दस हजार रुपये) की पूंजी है।
14. ट्रस्ट के अंग:-  
ट्रस्ट के अंग होंगे-  
अ- साधारण सभा  
ब- प्रबन्धकारिणी समिति।
15. साधारण सभा  
अ- गठन- ट्रस्ट के सभी प्रकार के सदस्यों को मिला कर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।  
ब- बैठकें- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यकता बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष की राय से बुलाई जा सकती है। सामान्य बैठक की सूचना बैठक के 10 दिन पूर्व लिखित रूप से सदस्यों को दी जायेगी। ट्रस्ट के सभी प्रकार के सभी सदस्यों के कम से कम 1/3 अपस्थिति में सभी बैठको की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।  
स- वार्षिक अधिवेशन- संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी को हर वर्ष हुआ करेगा।
16. अन्य प्रतिबन्ध-
  1. ट्रस्ट का नवीनीकरण, आदि आवश्यकता हो, समयानुसार कराया जायेगा।
  2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के प्रबन्ध में शिक्ष निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
  3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक

कहेया लाल



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

52AC 578932

- शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री इन्सपेक्शन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो एस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उओप्रो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
  5. ट्रस्ट के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाएंगे।
  6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
  7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे ट्रस्ट उसका पालन करेगा।
  8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जाएगा।
17. विशेष-  
अध्यक्ष, उपअध्यक्ष एवं सचिव तीनों मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जो कि सर्वमान्य होगा।  
ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है।

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।  
उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

कहेया लाल



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14

52AC 578933

साक्षीगण-

1. नाम- Jayesh Kumar  
पिता का नाम- Kuldev Mohan Prajapati  
पता- Sagarhala Bara Jain Varanasi

2 नाम- जोग कृष्ण शर्मा  
पिता का नाम- र.व. गिरजाशंकर  
पता- पालि मंडल, कपुर, पीठ दुआरी, जालावा (वाराणसी)

दिनांक:-28.10.2014 ई0

मसविदाकर्ता-

जवाहर लाल वर्मा, एडवोकेट  
दीवानी कचहरी, वाराणसी।

टाइपकर्ता-

रजनीश कम्प्यूटर्स,  
शाप नम्बर-5, कले0 वाराणसी

क-हेमा लाल



भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा (१) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादनकर्ता/विक्रेता/क्रेता  
दाहिने हाथ



अंगुष्ठका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका

बायें हाथ



अंगुष्ठका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका

क. टैपा लाल  
हस्ताक्षर

नाम निष्पादनकर्ता/विक्रेता/क्रेता  
दाहिने हाथ



अंगुष्ठका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका

बायें हाथ



अंगुष्ठका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका

हस्ताक्षर